

फर्द अहकाम

केलाश-पंड


बनाम

बदलीमदार

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12.9.25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ ने कार्य रथागित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 26.9.25 को पेश हो
	26.9.25	पत्रावली पेश हुई। गदी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/पत्रावलिथत है। पूर्व आदेशानुसार दि. 17.10.25 को पेश हो
	17.10.25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ ने कार्य रथागित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 21.11.25 को पेश हो
	21.11.25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सां अन्य राजधानी में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21.11.25 को पेश हो
	21.11.25	पत्रावली पेश हुई। प्राचीनगत एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। प्राचीनगत को भार अध्यालय से प्रथम प्रथम समग्र पर तीन-तीन बार आवाजे लगायी गयी। आवाज आवाज लगाये जाने के उपरांत भी प्राचीनगत के अध्यालय से घण्टी नहीं बजने के कारण पत्रावली अन्तर्गत आदेश न सिमा-3 प्रा-दी के तहत अद्यत घण्टी व अद्यत घण्टी से स्वारित नहीं गयी। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम होकर शरिख स्फतर हो।


 उपखंड अधिकारी
 जोबनेर जयपुर